रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2019/चैत्र 25, 1941
No. 254] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2019/CHAITRA 25, 1941

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 305(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम) सहायक निदेशक समूह 'क' राजपत्रित भर्ती नियम, 1989 को जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, महिला प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत कर्मकार इकाई में सहायक निदेशक प्रशिक्षण के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, समूह 'क' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
सहायक निदेशक प्रशिक्षण	34* (2019) *कार्यभार के अनुसार संख्या घट-बढ़ सकती है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 10	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
9.	10.	11.	12.	13.
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	वेतन मेट्रिक्स के लेवल-7 में ऐसे प्रशिक्षण अधिकारी/तकनीकी अधिकारी जो उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं तथा जिन्होंने किसी सरकारी अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त किसी	विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

		प्रशिक्षण संस्थान से स्थापना अथवा प्रशासन में माइक्रोसॉफ्ट (वर्ड,एक्सेल,,पॉवरप्वांइट,इंटरनेट आदि) में कंप्यूटर प्रचालन के क्षेत्र में चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूर कर ली हो।	2. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 4. उपमहानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय - - सदस्य ।	

[एफ.सं.डीजीटी-ए-12018/01/2005-प्रशा.II (पार्ट)]

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक/अपर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2019

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women) Assistant Director of Training Group 'A' - Gazetted Recruitment Rules, 1989, in so far as they relate to the post of Assistant Director of Training, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Training in the workmen's unit as fixed by the Central Government under Women Training, Directorate General of Training, namely:-

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Assistant Director of Training, Group 'A', Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .**– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**– No person,–

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** whether the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limits for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Assistant Director of Training.	34 (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level 10	Selection	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion, deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	By promotion.	Training Officer/Technical Officer in level-7 in level in the pay matrix with three years regular service in the grade and having successfully completed training for four weeks duration in the area of computer operations in Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Internet, etc.) in establishment or administration from any Government or Government recognised Training Institute.	**Departmental Promotion Committee consisting of:-** 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman; 2. Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-Member; 3. Director General or Joint Secretary, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-Member; 4. Deputy Director General, Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship-Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

		Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F.No. DGT-A-12018/01/2005-Adm.-II(Pt.)]

RAJESH AGGARWAL, Director General/Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.15 22:41:11 +05'30'